

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2013/अग्रहायण 12, 1935

No. 284]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2013/AGRAHAYANA 12, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2013

सं. 42 (आर.ई.-2013)/2009-2014

विषय : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैन्डर्स लकड़ी के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया।

फा.सं. 01/91/180/1380/एएम 12/निर्यात सेल.—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार दिनांक 3-12-2013 की अधिसूचना सं. 54 के अनुसार लाल सैन्डर्स लकड़ी के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

2. (i) आन्ध्र प्रदेश सरकार को एतद्वारा स्वयं अथवा इस प्रयोजन के लिए स्वयं द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था/संस्थाओं के माध्यम से लाल सैन्डर्स लकड़ी के 1998.5917 मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- (ii) ऐसी संस्था/संस्थाओं अथवा आन्ध्र प्रदेश सरकार, जैसा भी मामला हो, को आन्ध्र प्रदेश सरकार से मात्रात्मक आबंटन पत्र प्रस्तुत करने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

दिनांक 3-12-2013 की अधिसूचना सं. 54 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैन्डर्स लकड़ी के 1998.5917 मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd December, 2013

No. 42 (RE-2013)/2009-2014

Sub : Procedure for export of Value Added products of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh.

F. No. 01/91/180/1380/AM 12/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, Director General of Foreign Trade prescribes the following procedure for export of value added products of Red Sanders wood in terms of Notification No. 54 dated 3-12-2013.

2. (i) Government of Andhra Pradesh is hereby permitted to export 1998.5917 MTs of value added products of Red Sanders wood, either by itself or through any entity/entities so authorized by them for the purpose.
 - (ii) Such entity/entities or Government of Andhra Pradesh, as the case may be, shall be granted export authorization by the concerned Regional Authority of DGFT upon production of quantity allocation letter from Government of Andhra Pradesh.
3. **Effect of this Public Notice :**

Procedure for export of 1998.5917 MTs of value added products of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh in terms of Notification No. 54 of 3-12-2013 has been notified.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade